न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 134 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. रूपाराम पुत्र महादेवाराम 2. जवानाराम पुत्र महादेवाराम 3. गिरधारीराम पुत्र महादेवाराम 4. हुकमाराम पुत्र महादेवाराम जाति कलबी निवासी भावाणियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. ग्राम पंचायत गुड़ामालानी पंचायत समिति गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 2. नरार पुत्र मादा 3. दुर्गा पुत्र मादा 4. धीगा पुत्र मादा 5. सुभान पुत्र मदा जाति कोटवाल निवासी गुड़ामालानी 6. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 9/2021 बअनवान रूपाराम वगैरह बनाम ग्राम पंचायत गुड़ामालानी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 12.01.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री मोहनलाल विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी रेस्पोडेण्टस संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—10.08.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 से 06 द्वारा अधीनस्थ अदालत के समक्ष अंतर्गत धारा 251ए रा.का.अधि. के तहत प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 1260/1 रकबा 08.17 बीघा मौजा बोरली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में आया हुआ है। आगे यह भी कथन किया था कि प्रार्थी की खातेदारी खेत के आगे खसरा संख्या 1687 गैर मुमकिन गोचर का आया हुआ है जिस गोचर भूमि में से संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बरंग लाल की भूमि पर प्रार्थी व उसके बच्चे वगैरह आते जाते है तथा उसका उपयोग करते आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रार्थी का आवेदन विधि विरूद्ध जाकर निर्णित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर अपीलांट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने-जाने के लिए जो रास्ता प्रस्तावित किया गया उसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि से परे जाकर अपीलांटस का आवेदन खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि प्रतिबंधित भूमि में रास्ता एक ही स्थिति में दिया जा सकता है, अन्य कोई विकल्प नहीं हो। इस प्रकरण में अन्य विकल्प की सही जांच नहीं की गई। अगर पत्रावली को सुनवाई हेतु लौटाई जाती है तो अपीलाधीन आराजी का अन्य कोई उपयोग नहीं करे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश इस आधार पर पारित किया गया कि "प्रार्थी द्वारा धारा 251ए के तहत गैर मुमकिन गोचर भूमि में से रास्ता चाहा गया है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत निजी खातेदारी भूमि में से काश्तकारों को रास्ता उपलब्ध करवाने संबंधी प्रावधान किये हुए है।" इस संबंध राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6)विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(52)राज-6/12/4 जयपुर, दिनांक 14.06.2013 में प्रावधान किया कि "यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुंचने के लिये राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिए आवेदन करने पर विचारण न्यायालय द्वारा जांच करने पर यह समाधन हो जाये कि मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पि साधन का अभाव है। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे।"

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाडमेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 8/2021 बअनवान हुकमाराम बनाम ग्राम पंचायत गुड़ामालानी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 12.01.2022 को अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6)विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(52)राज–6/12/4 जयपुर, दिनांक 14.06.2013 में प्रावधान का अनुसरण करते हुए अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, विस्तृत मौका जांच रिपोर्ट मंगवाई जाकर राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 की धारा 251 ए को प्रभाव देने के लिये बनाये गये नियम 69 एवं 70 की पूर्णतया पालना करते हुये गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19.10.2023 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(प्रतीक्षा मिलोनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 10.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर